राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ.15(79)पंरावि/विधि/प्रशा.गावों के संग अभि.2013/12/ 12 जयपुर, दिनांक 08/01/2013

परिपत्र

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि पंचायतों द्वारा आबादी भूमि का पट्टा देने के लिये कम से कम छः बैठके करनी पडती है जिससे प्रकिया में काफी विलम्ब हो जाता है ।

अतः इस संबंध में नियमों के प्रावधानों एवं इसकी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया जाता है । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 147 में पट्टा दिये जाने की प्रकिया निर्धारित की हुई है । जिनके तहत आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही 3 बैठकों में पूर्ण की जा सकती है:–

1. प्रथम बैठक में तीन पंचों की समिति की प्रतिनियुक्ति ।
2. द्वितीय बैठक में रिपोर्ट का समिशन व आपत्ति आमत्रित ।
3. तृतीय बैठक में यदि आपत्ति प्राप्त नही होती है तो पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री महोदय ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
6. जिला कलक्टर, समस्त ।
7. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।
9. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत समस्त(राजस्थान) ।
10. आदेश पत्रावली ।

उप शासन सचिव(विधि)